

14.12.17

पत्रा. पेश हुई। प्रकरण में बार-बार आवाज  
दिलवाई गई किन्तु वादी असालतन या वकालतन  
उपस्थित नहीं आये। अतः दावा अफिम हाजरी व  
अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली कैसलशुमार होकर नंबर से कम  
हो एवं अद तकमील जमा जिल्ल अभिलेखागार हो।



सहायक कलेक्टर  
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
गंगापूर सिटी (स.म.०)